निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

आदेश संख्याः सेवा–2/3(क)/2(01)/ 590 /वा0अनि0स्थाना0/2024–25 दिनांक 22 जुलाई, 2024

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा कार्मिक एंव सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 198739/ xxx(2)/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024, शासनादेश संख्याः 221278/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्याः 1016/xxiv-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण काउन्सिलिंग के माध्यम से किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या–223526 /XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 08 जुलाई, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा महिला शाखा (लेवल–8 वेतनमान रू0 47600–151100) समूह–'ग' में पात्रता सूची के 15 प्रतिशत सीमान्तर्गत कार्यरत निम्नांकित प्रवक्ताओं को स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण (महिला शाखा) के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 के विद्यालय/संस्था से स्तम्भ–5 में अंकित विद्यालय/संस्था में स्थानान्तरित किया जाता हैः–

प्रवक्ता संवर्ग(महिला शाखा)
दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण (महिला शाखा)

क्र0 सं0	प्रवक्ता का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय/ संस्था	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लक्ष्मी वल्दिया	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 ऐंचाली, विण, पिथौरागढ़	रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
2	बिशौला देवी	अर्थशास्त्र	रा0बा0इ0का0 रानीखेत, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 कोटाबाग, नैनीताल	–तदैव–
3	सुमन	इतिहास	रा0बा0इ0का0 रानीखेत, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	रा0बा0इ0का0 अजबपुरकला, देहरादून	–तदैव–
4	रंजना पोखिरिया	अंग्रेजी	रा0बा0इ0का0 उभ्याड़ी, अल्मोड़ा	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर	–तदैव–

2– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित प्रवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

1. स्थानान्तरित प्रवक्ता दिनांक **31 जुलाई, 2024** तक स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले प्रवक्ता नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें।
2. स्थानान्तरित प्रवक्ता को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये प्रवक्ताओं के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित प्रवक्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु दिनांक 25 जुलाई, 2024 तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को ई–मेल आई0डी0 **edusewa12@gmail.com** के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
5. उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18 जून, 2018 के प्रस्तर–22 के अधीन रहेंगी, जिसमें उल्लिखित है कि ''कोई स्थानान्तरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की सख्या पर्वतीय जनपदों में न भरी जाय''। अतः समस्त संस्थाध्यक्षों/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार शिक्षकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

22/07/24

(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
संयुक्त निदेशक(सक्षम प्राधिकारी),
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

पृ0सं0: सेवा–2/3(क)/2(01)/9920-28 /वा0अनि0स्थाना0/2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, (मा0शि0) गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
6. संबधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि उक्त सूची में अंकित प्रवक्ताओं को अनिवार्य रूप से कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधितों को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/संस्थाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, संबंधित विद्यालय/संस्था (द्वारा–मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि स्थानान्तरित प्रवक्ता को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगें। कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित प्रवक्ताओं को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
9. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. आदेश गार्ड फाईल।

22/07/24

(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
संयुक्त निदेशक(सक्षम प्राधिकारी),
माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner